	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 27.11.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
शुभम चौधरी ,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 27 नवम्बर, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (षष्ठम संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 2 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची 2 के भाग-क में,-

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में विद्यमान निम्नलिखित प्रविष्टि

‘’

आयामी पत्थर-	
(i) फर्श, छत और स्तंभ पत्थर इत्यादि के रूप में प्रयुक्त:-	
(क) जिला कोटा और झालावाड़	140.00

‘‘

‘‘ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"

आयामी पत्थर- (i) फर्श, छत और स्तंभ पत्थर इत्यादि के रूप में प्रयुक्त:- (क) जिला कोटा और झालावाड़	 115.00

"

(ii) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में विद्यमान निम्नलिखित प्रविष्टि

"

पटिटया और टाइलें- (i) पटिटया और टाइलें जिनका एक आयाम (चौड़ाई) 35 सेंमी. और अधिक है और अन्य तैयार उत्पाद (क) मकराना क्षेत्र के लिए (ख) राजस्थान के सभी अन्य क्षेत्रों के लिए (ii) टाइलें जिनका एक आयाम 35 सेंमी. से कम है ब्लॉक्स (i)विषम या असमान ब्लॉक्स	 420.00 475.00 385.00 265.00

" ; और

(iii) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में विद्यमान निम्नलिखित प्रविष्टि

"

ब्लॉक्स (i) ब्लॉक्स जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से अधिक हो	 280.00

"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"

ब्लॉक्स (i) ब्लॉक्स जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से अधिक हो	 235.00

"

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट.।।]

राज्यपाल के आदेश से,

ललित कुमार,

संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.